



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 192/ 2026

ममता सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – आशीष रमन मिश्रा, पल्लवी द्विवेदी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष रमन मिश्रा, और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव को सुना गया एवं गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वादधारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना गया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने गाँव- बेदौरा, परगना- हिशामपुर, तहसील- कैसरगंज, बहराइच स्थित सार्वजनिक भूमि गाटा संख्या 61, क्षेत्रफल 0.2020 हेक्टेयर, जो कि तहसीलदार, कैसरगंज, बहराइच द्वारा 'गाँव सभा बेदौरा बनाम दिनेश' वाद संख्या 2145/ 2021 में उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली की धारा 460 के प्रावधानों के अनुपालन में भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दिनांक 17.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में निस्तबाचनस्थल के रूप में दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
3. लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लिए दिनांक 18.02.2026 को नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक की जाएगी।

4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की जाती है।

5. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस याचिका को विपक्षी संख्या 4 – तहसीलदार, कैसरगंज, बहराइच को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उनके द्वारा वाद संख्या 2145/ 2021, 'गाँव सभा बेदौरा बनाम दिनेश', में उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली की धारा 460 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दिनांक 17.11.2023 को पारित आदेश का निष्पादन विधि के अनुरूप तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करें।

11 मार्च, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)